होने/अन्य र ... र्य में व्यस्त
होने/बार ~~एसोसिएशन~~ की प्रार्थन से
पत्रावली वास्ते.........................
दिनांक....4/9/19....को पेश हो।

4/9/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से
पत्रावली वास्ते........ ....
दिनांक.13/11/19..को पेश हो।

13/11/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/~~बार एसोसिएशन की प्रार्थन से~~
पत्रावली वास्ते....T.D.R. मौका रिपोर्ट
दिनांक..17/12/19.को पेश हो।

17/12/19 पत्रावली पेश हुई पार्टी के अधिवक्ता उपस्थित
है पत्रावली वास्ते बइन्तजार TDR मौका
रिपोर्ट के दिनांक 25/2/20 को पेश हो

26/2/2020 पत्रावली पेश हुई पार्टी अधिवक्ता की
बहस सुनी, मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया
वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 26.02.2020 को पेश हो

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 67/2019 (2019/0002) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री गोपीलाल पिता छोगा v/s श्यामलाल नाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-02-2020	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार रायपुर से मोका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता को कराने पर सहमति व्यक्त की, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे बहस के दोरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावे, मैने प्रार्थना एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मोका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जो शामिल पत्रावली है/ तहसीलदार रायपुर ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि प्रार्थी ग्राम आसपुर के खसरा नम्बर 493 एवं 494 का खातेदार है जो विपक्षी क्रमांक 1 से 8 की खातेदारी मे होकर जाने हेतु रास्ता चाहा गया है, आ.नं. 488 जो ग्राम आसपुर से नाहरी जाने वाली सड़क से लगती हुई होकर प्रार्थी एवं विपक्षीगणो की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमे होकर आवागमन हो रहा है आराजी नं. 488 से लगती हुई प्रार्थी की आ.नं. 486 एवं 487 है जिसमे वेकल्पिक रास्ता होना बताया गया है, प्रार्थी, विपक्षीगण की आ.नं. 491 एवं 492 मे होकर रास्ता चाहा है. जबकि इन्ही आराजीयात से लगती हुई उत्तरी सीमा पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आ०नं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	486 स्थित है और आराजी नं 486 से लगती हुई आराजी नम्बर 493 है जिससे होकर आवागमन हो सकता है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है मेने पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा मनन करने से पाया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं 493 व 494 मे जाने हेतु चाहा गया जो सडक से आराजी नं 488 लगता हुआ है जो प्रार्थी व विपक्षीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि है और उससे होकर दोनो पक्ष आ रहे है, उससे आगे प्रार्थी अपनी खातेदारी आ.नं 493 व 494 मे प्रवेश कर सकता है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे होकर नही जाना चाहता और विपक्षी की आराजीयात खसरा नं 491 व 492 की उत्तरी मेरसेहोकर जाना चाहता है जो उचित नही है; अगर विपक्षी की आराजी के पास प्रार्थी की आराजीयात नही होती तो रास्ता दिलाया जाना उचित था किन्तु इस प्रकरण मे एसा नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही होकर खारिज योग्य है। आदेश प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेकार्ड एवं मौके की स्थिति तथा तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत (sd/-)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 493 एवं 494 मे ग्राम आसपुर से नाहरी जाने वाली सड़क से अपनी सयुंक्त खातेदारी आ.न. 488 मे होकर आराजी न 486 की दक्षिणी मेर पर होते हुए अपनी आराजी नम्बर 493 मे प्रवेश करे. आराजी नम्बर 486 के दक्षिणी पूर्वी कोने से सिधा आराजी नम्बर 492 के उत्तरी पूर्वी व आराजी न- 493 के उत्तरी पश्चिमी कोने से आवागमन कर सकता है। जिसमे विपक्षी को कोई आपत्ति नही होगी पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से वाद दाखला रजिस्टर कम हो। 26.2.2020 (सुन्दरलाल बम्बोड़ा) RAS सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.28 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: